विहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि ७ जुलाई, १९५२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार तिथि ७ जुलाई १९५२ को २१ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण।
OATH OF ALLEGIANCE TO THE CONSTITUTION OF INDIA.
श्री शंकरी प्रसाद सिंहदेव ने शपथ ग्रहण किया।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.
अल्पसूचना प्रश्नोत्तर।

मुसहरों को गृहविहीन करना।

A ५१.। श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह बात सही है कि भभुआ के एस० डी० ओ० ने भगवानपुर ग्राम के एक पुराने सूखे तालाब के ऊपर वर्षों से बसे हुए मुसहरों को उजाड़ दिया है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि मुसहरों को इसके लिए जबरदस्ती उजाड़ा गया है कि उनके सुअर गन्दगी करते थे ;

(ग) क्या यह बात सही है कि ये अति निर्धन और दरिद्र मुसहर इस भयंकर लूह में बिना मकान के फूस की पुलियों को खड़ाकर अपने नन्हें-नन्हें बच्चों के साथ मौत के मुंह में निवास कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह बात सही है कि ये मुसहर उक्त तालाब के पास ही सड़क और गांव के निकट फूस की पुलियां खड़ी कर टिके हुए हैं ;

(ङ) यदि खंड (क), (ख), (ग), और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ने मुसहरों को जबरदस्ती उसके पुश्तैनी घरों से उजाड़ने का अधिकार एस० डी० ओ० को दे रखा है या वे अपने जोश और गरूर में आकर निर्धन और दलित मुसहरों को उजाड़ा है ?

मालगुजारी वसूलने का काम।

*६६७। श्री हरिवंश नारायण—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सरकार बिहार भूमि सुधार नियम के अनुसार मालगुजारी वसूलने का काम ग्राम पंचायतों और सहयोग समितियों को दे रही है ;

(ख) यदि "हाँ" तो क्या ग्राम पंचायतों और सहयोग समितियों को सरकार कमीशन के रूप में कुछ देगी, यदि "हाँ" तो कितने प्रतिशत ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) ग्रामपंचायत द्वारा मालगुजारी वसूलने के सवाल पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट जल्द ही एक आदेश जारी करेगी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो रिएलाइजेशन कोस्ट लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट में दिया हुआ है, उनमें से कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत को मिलेगा या नहीं ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—गवर्नमेंट के समाने यह प्रश्न है कि जिस तरह से म्युनिसिपलिटी रेन्ट वसूल नहीं करती है, ग्राम पंचायत भी अगर वसूल नहीं करे, इसलिये यह विचारणीय प्रश्न है।

पंडित विनोदानन्द झा—क्या सरकार को यह मालूम है कि प्लेनिङ्ग कमिशन के मेम्बर श्री टी० टी० कृष्णमचारी ने बिहार में इस विषय में जाँच किया। सरकार को उनकी रिपोर्ट मिली है या नहीं, अगर मिली है तो सरकार ने उसको पढ़ा है या नहीं ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैंने उन रिपोर्ट को नहीं देखा है, इसलिये मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला है।

पंडित विनोदानन्द झा—मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस रिपोर्ट को मँगाकर देखे कि उसमें क्या स्पेसिफिक रिकोमेनडेशन है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—माननीय सदस्य के साथ सरकार का मतभेद तो नहीं है। यदि इस तरह की सिफारिश है तो हम उसको मानते हैं और पढ़ भी लेंगे। गवर्नमेंट के समाने विचारनीय विषय यह है कि जिस तरह से म्युनिसिपलिटी से रेन्ट वसूलने का काम नहीं होता है वैसा ही ग्राम पंचायत के साथ न हो। यही कठिनाई है।

पंडित विनोदानन्द झा—इस रिपोर्ट से यह भय दूर हो जायगा। जब ऐक्ट में इस तरह के प्रोभिजन हैं और रूल्स के जरिये आप सेफगार्ड बना सकते हैं तो फिर ऐसी व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट में यह नहीं है कि ग्राम पंचायत वसूलने का काम करेगी। यह गवर्नमेंट के डिसक्रिशन पर है। हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जहाँ तक सम्भव होगा ग्राम पंचायत ही से यह काम लिया जायगा। मगर उसके साथ-साथ जो कठिनाई है उस पर सरकार अभी विचार कर रही है। अगर श्री टी० टी० कृष्णमचारी की रिपोर्ट से इसका सल्यूशन मिल जायगा तो हम जरूर उसको काम में लावेंगे क्योंकि हम वसूल को मानते हैं।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के रुपयों का दुरुपयोग।

*६६८। श्री दुर्गा मंडल—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स, गिधौर, एडवाइजरी कमिटी से ११ हजार रुपये चन्द्र चूड़ हाई स्कूल, गिधौर को हॉल निर्माण के शर्त पर दिया था ;

(ख) क्या उक्त रकम हौल के निर्माण में खर्च हुआ ;

(ग) यदि निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो सरकार उक्त ग्रान्ट के दुरुपयोग पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) और (ग)—जो सूचना गवर्नमेंट के पास आई है उससे पता चलता है कि अभी तक कोई हॉल वहाँ नहीं बना है। ११ हजार रुपये मैनेजर ने स्कूल को तीन इन्सटालमेंट में दिया था और उस रुपये को स्कूल के जेनेरल बिल्डीङ्ग फण्ड में डाल दिया गया था और वैसे ही खर्च हुआ। गवनमेंट के पास खबर नहीं है कि कौन-कौन बिल्डीङ्ग बने हैं और इस सम्बन्ध में कितना खर्च हुआ। इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल हो रही है।

श्री दुर्गा मंडल—मैं जानना चाहता हूँ कि यदि रुपया इस शर्त पर दिया गया था कि हॉल बने तो फिर उसको जेनेरल बिल्डीङ्ग फण्ड में क्यों डाला गया ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार जाँच करेगी ?